(2)

राजस्थान सरकार
राजस्व (उप निवेशन) विभाग

क्रमांक/प.6(3)94/राज/उप/87 / जयपुर, दिनांक

आयुक्त, उपनिवेशन
बीकानेर।

विषय:- इंदिरा गांधी नहर के किनारे वन विभाग को भूमि [illegible] आवंटन करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि [illegible] की मुख्य नहर के किनारे वन विभाग को वन विकास एवं वृक्षारोपण के लिए भूमि आवंटन करने हेतु वन विभाग के अधिकारी एवं उपनिवेशन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से भूमि का निर्धारित सीमा व शर्तों को निम्नांकित है, में चयन कर एक माह में आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भिजवाये ताकि भूमि आवंटित की जा सके :-

अनिवार्य सीमा :-

1.	मुख्य कैनाल से	200 मीटर बायें	100 मीटर दायें
2.	ब्रान्च नहर से	150 --"--	50 --"--
3.	वितरिका से	50 --"--	50 --"--
4.	माईनर इत्यादि	25 --"--	25 --"--

वितरिका

अनिवार्य सीमा के अतिरिक्त :-

1.	मुख्य नहर	1000 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
2.	ब्रान्च नहर	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
3.	वितरिका	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें
4.	माईनर इत्यादि	500 मीटर बायें तथा 500 मीटर दायें

इस संबंध में निम्न निर्णय लिये गये :-

1. वन विभाग द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों से प्रस्तावित अनिवार्य दूरी की सीमा में स्थित राजकीय/काश्तकार [illegible] भूमि को आरक्षित करके आवंटन उपनिवेशन विभाग, वन विभाग को करेगा। इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत भूमि के संबंध में 2 बीघा असिंचित भूमि के बदले में 1 बीघा सिंचित भूमि तथा एक बीघा सिंचित भूमि के बदले में एक बीघा सिंचित गांव के आस-पास में तबादले में भूमि धारक की सहमति लेकर अन्य जगह भूमि दिये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी तथा जो भूमि इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग को चाहिये वह भूमि [illegible] विभाग इस विभाग से नियमानुसार प्राप्त करेगा।

5934
5/90

उपसचिव

4 AUG 1990

RITESH KUMAR VARMA
ASSOCIATE GENERAL MANAGER (PROJECT)
BIKANER KHETRI TRANSMISSION LTD.

2. अनिवार्य भूमि को प्रस्तावित दूरी की सीमा से अतिरिक्त भूमि को प्रस्तावित दूरी की सीमा तक केवल अनकमाण्ड भूमि [illegible] विभाग वन विभाग को आवंटित करेगा । इन पट्टियों में [illegible] भूमि/राजकीय कमाण्ड भूमि वन विभाग द्वारा [illegible]

3. अनिवार्य सीमा में स्थित क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार [illegible] इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग को भूमि का [illegible] वन विभाग के लिए आरक्षित की जाती है । [illegible] द्वारा उक्तानुसार आरक्षित किये गये क्षेत्र में [illegible] काश्तकारों को आवंटन नहीं किया जायेगा । दूसरे शब्दों में अनिवार्य पट्टी में कमाण्ड व अनकमाण्ड दोनों प्रकार की भूमि का कृषकों को आवंटन नहीं किया जायेगा । लेकिन अतिरिक्त भूमि की पट्टी में सिर्फ अनकमाण्ड भूमि का कृषकों को आवंटन नहीं किया जायेगा । इस पट्टी में कमाण्ड भूमि का आवंटन कृषकों को करने में कोई रोक नहीं होगी ।

4. वन विभाग व उपनिवेशन विभाग के अधिकारी [illegible] में आपसी आरक्षित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर [illegible] जिसके फलस्वरूप वन विभाग भूमि आवंटन के निश्चित प्रस्ताव आयुक्त, उपनिवेशन विभाग को भेजेगा । तत्पश्चात् उपनिवेशन आयुक्त राज्य सरकार को निश्चित भूमि के आवंटन की सिफारिश करेगा । सिफारिश करने पर राज्य सरकार द्वारा [illegible] रूप से वृक्षारोपण एवं वन विकास कार्य हेतु वन विभाग को भूमि का आवंटन करेगी, जिसमें यह भी शर्त होगी कि राज्य सरकार अन्य विकास कार्य हेतु आवंटित भूमि वन विभाग से [illegible] वापस ले सकेगी तथा उस पर केन्द्रीय वन अधिनियम, [illegible] लागू नहीं करायेगा ।

5. आयुक्त, उपनिवेशन एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी [illegible] कार्यक्रम करेंगे कि सर्वप्रथम किन स्थानों पर भूमि के [illegible] की कार्यवाही कितने वर्षों में [illegible] किस प्रकार [illegible] की जाये ताकि जहां अधिक आवश्यकता हो वहां पहले [illegible] का कार्य वरीयता से हाथ में लिया जा सके ।

6. [illegible] के आस-पास तथा [illegible] भूमि [illegible] और भी भूमि वन विभाग को वन विकास कार्य [illegible] हेतु आवंटन करने के संबंध में यह महसूस किया गया कि इस संबंध में वन विभाग ने [illegible] सामग्री प्रस्तुत की है । वन विभाग पूर्ण व निश्चित विवरण की सूचना उपनिवेशन विभाग को उपलब्ध करायेगा जिससे उस पर निश्चित निर्णय लिया जा सके ।

7. इस विभाग के पत्र क्रमांक 3(54)राज/उप/87 दिनांक [illegible] के अतिक्रमण में यह आदेश जारी किया जाता है ।

भवदीय,

[illegible]

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

RRVPNL, BIKANER

RITESH KUMAR VARMA

ASSOCIATE GENERAL MANAGER (PROJECT)
BIKANER KHETRI TRANSMISSION LTD.